



पशु संगरोध सेवा की तरफ से आवश्यक अधिसूचना

22 अप्रैल 2019 से लागू

**विदेश से लाया गया अवैध मांस उत्पाद और अधिक
कठोरतापूर्वक रोका जाएगा**



स्वेच्छापूर्वक त्यागे जाने के बावजूद, अवैध को सख्ती के साथ पकड़ा जाएगा।

- ◆ पशु उत्पाद जैसे मांस उत्पाद, बिना आयात घोषणा-पत्र के यात्री सामान में पुष्टि होने की अवस्था में जुर्माना किया जाएगा।
- ◆ आयात जांच प्रक्रिया में, अधिकारियों को पासपोर्ट एवं बोर्डिंग पास की जानकारी दर्ज करने में कुछ समय लग सकता है।

घरेलू पशु संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम पर आधारित,
आयात जांच पास किए बिना, पशु उत्पाद लाने की अवस्था में, व्यक्ति को तीन वर्ष की दंडनीय अधीनता या दस लाख येन तक का जुर्माना देना होगा।

